**संख्या- 181 / 2022 /1666 / चार-2022**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2022

विषयः- 58- आउट सोर्सिंग मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-670/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58- आउट सोर्सिंग मद में धनराशि रू0 100.08 लाख (रू0 एक करोड़ आठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते है।

2- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3- बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-01 वेतन मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-58 आउटसोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 181 /2022 / 1666 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

# बी एम-9 (भाग - 1)

# पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

## (संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A004-20222023-1666-Char-2022- Museum Outsourcing

विषयः- 58- आउटसोर्सिंग मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धन आवंटन के संबंध में।

### निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 2205001070300 (अधिष्ठान व्यय ) | 01 (वेतन) | 10,07,85,000 रुपये दस करोड़ सात लाख पचासी हजार मात्र | - - | 1,00,08,000 रुपये एक करोड़ आठ हजार मात्र | 1,00,08,000 रुपये एक करोड़ आठ हजार मात्र | 9,07,77,000 रुपये नौ करोड़ सात लाख सतहत्तर हजार मात्र | 2022-2023 |
| कुल | | | | | ₹ 1,00,08,000 | ₹ 1,00,08,000 | | |

### निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 2205001070300 (अधिष्ठान व्यय ) | 58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान ) | 1,00,000 रुपये एक लाख मात्र | 1,00,08,000 रुपये एक करोड़ आठ हजार मात्र | 1,00,08,000 रुपये एक करोड़ आठ हजार मात्र | 1,01,08,000 रुपये एक करोड़ एक लाख आठ हजार मात्र | 2022-2023 |
| **कुल** | | | | ₹ 1,00,08,000 | ₹ 1,00,08,000 | | |

**कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-**

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-670/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58- आउट सोर्सिंग मद में धनराशि रू0 100.08 लाख (रू0 एक करोड़ आठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते है।

2- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3- बचत की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

5- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

8- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

9- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-01 वेतन मद में उपलब्ध बचतों को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-58 आउटसोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या:RE-budget-1-90-E-7-128-X-2022-23-दिनांक:03-10-2022

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

राजेन्द्र राम
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या - 181 /2022 / 1666 (1)/चार-2022 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।